अध्याय -I : परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

सरकार का सबसे बड़ा भूस्वामी रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) है जो 17.31 लाख एकड़ भूमि का मालिक है। भूमि विभिन्न आवश्यकता आधारित वर्गीकरण के अर्न्तगत सेना, वायुसेना, नौसेना केन्द्रीय एवं राज्य संस्थाओं, असैनिक जनसंख्या इत्यादि के कब्जे में है। कुल भूमि का लगभग दो लाख एकड़, देश के विभिन्न भागों के 62 छावनियों के अर्न्तगत स्थित है । छावनी के अन्दर सामान्य उपयोग की भूमि छावनी परिषद के कब्जे में है । इन छावनियों के बाहर, 15.3 लाख एकड़ रक्षा भूमि सैनिक स्टेशनों, वायुसेना स्टेशनों, नौसेना बेस, डी.आर.डी.ओ. प्रयोगशालाओं, फायरिंग रेंजों, कैम्पिंग ग्राउन्डस इत्यादि के कब्जे में है । तीनों सेनाओं के बीच थलसेना के अधिकार में 13.79 लाख एकड़ है जो भूमि का 80 प्रतिशत भाग है ।

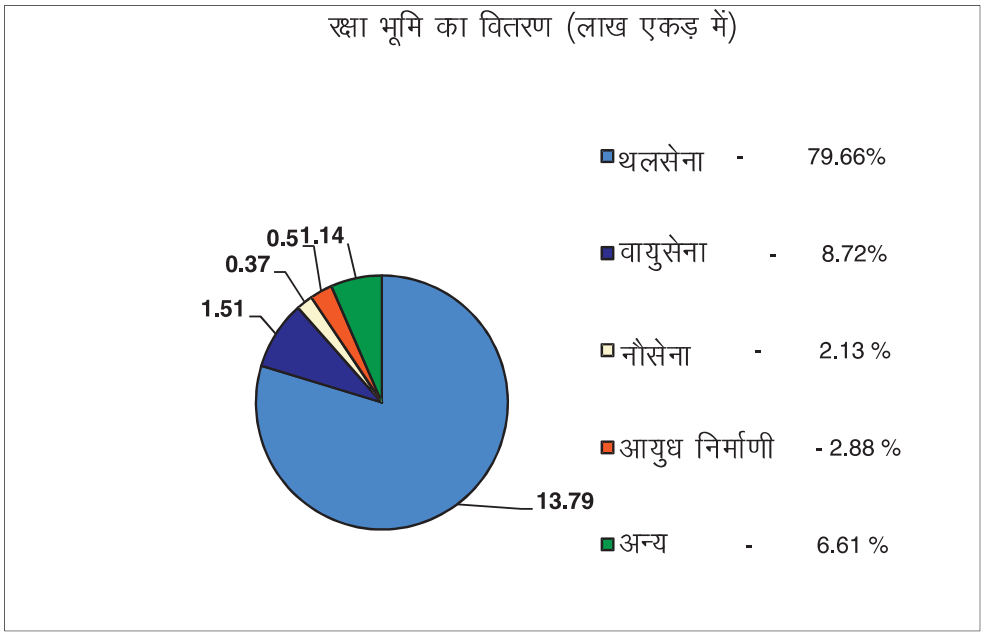

1.2 रक्षा भूमि का वर्गीकरण -

सैनिक छावनी के अन्दर रक्षा भूमि का वर्गीकरण निम्न प्रकार है -

वर्गीकरण	भूमि का विवरण	प्रबन्धनकर्ता
ए-1	सैन्य बलों एवं सहायक सेनाओं के सक्रिय कब्जे में	सम्बन्धित सेना के स्थानीय सैनिक प्राधिकारी
ए-2	रिक्त / खाली भूमि जिन पर विशिष्ट सैन्य कारणों से निर्माण कार्य नहीं किया जाना है ।	रक्षा सम्पदा अधिकारी
बी-1	भूमि मंत्रालय के स्वामित्व में परन्तु केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय के अधिकार में	सम्बन्धित मंत्रालय जिनके कब्जे में भूमि है।

वर्गीकरण	भूमि का विवरण	प्रबन्धनकर्ता
बी-2	मंत्रालय के स्वामित्व की भूमि परन्तु जो राज्य सरकार के अधीन	सम्बन्धित राज्य सरकार जिनके कब्जे में भूमि है।
बी-3	पुराने अनुदान निबंधनों पट्टों इत्यादि के अर्न्तगत निजी व्यक्तियों द्वारा रखी गई भूमि जिसमें केन्द्रीय सरकार ने उन लोगों के भूमि के स्वामित्व का अधिकार आरक्षित रखा या रखा है।	रक्षा सम्पदा अधिकारी
बी-4	उस तरह की भूमि जो उपरोक्त वर्णित किसी भी वर्ग के अर्न्तगत नहीं आती है ।	रक्षा सम्पदा अधिकारी
सी	छावनी परिषद में निहित भूमि जो नगर पालिका या अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है ।	छावनी परिषद
छावनी परिषद प्रक्षेत्र के बाहर की रक्षा भूमि किसी भी प्रकार के वर्गीकरण को वहन नहीं करती ।		

उस समय जब ये अधिकांशतः छावनियां और सैन्य स्टेशन नियोजित किये गये थे, साधारणतः ये सारे शहर के बाहरी भाग में थे, कभी कभी शहर से काफी दूर स्थित थे । शहरीकरण में बढ़ोतरी और भूमि पर दबाव बढने के फलस्वरूप, वर्तमान में अधिकांश शहरों में ये क्षेत्र शहर के भाग बन गये हैं । दिल्ली, मुम्बई, पूणे, कोलकता, अम्बाला जैसे कई शहरों में वर्तमान में ये छावनी और स्टेशन क्षेत्र मुख्य रूप से शहर के केन्द्र में स्थित है । छावनी परिषदों के दोनों, अन्दर और बाहर की अधिकांश रक्षा भूमि वर्तमान में भी प्रधान अचल भूसम्पत्ति है ।

1.3 संगठनात्मक संरचना

रक्षा मंत्रालय रक्षा सेवाओं एवं दूसरों के अधीनस्थ सभी भूमि का नाममात्र का स्वामी है । भूमि के नियंत्रण रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अधिकारी या तो रक्षा मंत्रालय है या ए-। भूमि के मामले में तो सम्बन्धित सेवाओं के अधिकारी जिनके पास भूमि है। रक्षा मंत्रालय के लिए शीर्ष स्तर पर भूमि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व महानिदेशक रक्षा सम्पदा (डीजीडीई) निहित है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अन्तरसेवा संगठन है। डीजीडीई के कार्यालय देश के विभिन्न भागों में हैं। छः थलसेना कमानों[1] में ये छः प्रधान निदेशक / निदेशक रक्षा सम्पदा (पीडीडीईज/डीडीईज) के द्वारा संचालित हैं । पीडीडीईज के अन्तर्गत सर्कल स्तर (***परिशिष्ट-I***) के 40 डीईओज/एडीईओज समूचे देश में फैले हैं जो छावनी के अन्दर एवं बाहर दोनों प्रकार के भूमि के अभिलेखों एवं प्रबन्धन भूमि का उत्तराधिकार सहित के लिए उत्तरदायी हैं । छावनी के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के सभी भूमि के अभिलेखों के रखरखाव के लिए वे जनरल लैंड रजिस्टर (जी.एल.आर.) अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है जबकि छावनी के बाहर मिलिट्री लैंड रजिस्टर (एम एल आर) अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

रक्षा सम्पदा संगठन के रक्षा भूमि के प्रबंधन करने के प्रमुख कार्य के अतिरिक्त दूसरे जुड़े कार्य में सम्मिलित हैः

- रक्षा मंत्रालय को भू प्रबंधन के संबंध में, छावनी प्रशासन को भूमि अधिग्रहण, भूमि एवं भवन को भाड़े पर उठाने एवं अचल सम्पत्तियों के निपटान के संबंध में सलाह देना;

[1] उत्तरी कमान (एन.सी.) मुख्यालय ऊधमपुर, मध्य कमान (सी.सी.) मुख्यालय, लखनऊ, पश्चिमी कमान (डब्ल्यू.सी.) मुख्यालय, चण्डीगढ़, पूर्वी कमान (ई.सी.) मुख्यालय, पटना, दक्षिणी कमान (एस.सी.) मुख्यालय, पुणे और दक्षिणी पश्चिमी कमान (एस.डब्ल्यू.सी.),मुख्यालय, जयपुर ।

- सैन्य कमांडरों / वायुसेना / नौ सेना के भूमि प्रबंधन, छावनी प्रशासन, अधिग्रहण, भूमि एवं भवन को भाड़े पर उठाने एवं अचल सम्पत्तियों के निपटान के संबंध में सलाह देना;
- छावनी परिषदों को सेवा शुल्क का भुगतान;
- सैन्य भूमि से अतिक्रमणकारियों को जन अहाता (अप्राधिकृत कब्जा बेदखली करना) अधिनियम 1971 लगाकर बेदखल करना; तथा
- वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भूमि एवं शापिंग कॉम्पलेक्स सहित भवनों जो रक्षा भूमि पर गैर सार्वजनिक निधि या सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन से सृजित है, का प्रबन्धन।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

रक्षा सम्पदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँच करने के उद्देश्य से की गई कि क्या -

- रक्षा भूमि की आवश्यकता को नियमानुकूल सही रूप में, वास्तविक डेटा के अनुकूल प्रस्तुत किया गया एवं भूमि का उपयोग विवेकपूर्ण एवं कारगर था;
- वह भूमि जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी को लीज पर देने सहित, अस्थायी रूप में दूसरे रचनात्मक उपयोग के लिए लगाया जाना, लीज पर दी गई सम्पत्तियों का प्रभावशाली एवं कुशलतापूर्वक प्रबंधन;
- पुरानी अनुदानित भवनों का प्रबंधन मौजूदा आदेशों के अनुसार किया गया;
- भूमि को भाड़े पर लगाना / अधिग्रहण / मांग विवेकपूर्ण एवं वर्णित सीमा एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया;
- डीजीडीई एवं इसके सहायक कार्यालयों को इतने बड़े रक्षा भूमि प्रबंधन के लिए प्राप्त संसाधन पर्याप्त थे एवं उन्होने इसका दक्षतापूर्वक निष्पादित किया एवं मानिटरिंग रक्षा भूमि के उच्चतर प्रबंधन के लिए प्रवाहमय एवं कारगर प्रबंधन में सहायक हुई ; तथा
- अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमित भूमि के बेदखली के लिए उचित कदम उठाए गए।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा, रक्षा मंत्रालय, डीजीडीई के कार्यालय, कमान के सभी छः पीडीडीईज / डीडीइज स्तर एवं अंचल स्तर के 20 चुने गए डीईओज[2] के यहाँ संचालित किए गए। लेखापरीक्षा 2004-05 से 2008-09 के पाँच वर्षों के समय अन्तराल का किया गया । इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं के मुख्यालयों, सेना कमान के सभी छः मुख्यालयों, सेना स्टेशनों के 28 मुख्यालयों (***परिशिष्ट-II***) , दो वायु कमान (पश्चिमी कमान मुख्यालय दिल्ली एवं प्रशिक्षण कमान मुख्यालय बैंगलोर) , चार वायु सेना स्टेशनों (हिण्डन, पालम, येलहान्का एवं हैदराबाद) एवं दो नौ सेना कमान (मुम्बई एवं कोच्चि) को लेखापरीक्षा के दायरे में लिया गया ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत छावनी के अंदर ए-I, ए-2, बी-3 एवं बी-4 भूमि एवं छावनी के बाहर तीनों सेवाओं के 20 अंचलों से सम्बन्धित सभी भूमि थे।

[2] **एन सी** - उधमपुर, **सी सी** - मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ एवं जबलपुर, **डब्लू सी** - अम्बाला, जालंधर, दिल्ली कैन्ट, जम्मू एवं पठानकोट, **ई सी** - जोरहाट एवं कोलकत्ता, **एस सी** - पूणे, चैन्नई, सिकन्दराबाद, बैंगलोर एवं भोपाल, **एस डब्लू सी** - बीकानेर एवं जयपुर।

लेखापरीक्षा के विषय वृतांत में समाप्त हो चुके लीज, अनुचित ढ़ंग से उपयोग में लाए गए पुराने अनुदान के भवनों (ओजीबीएस) एवं रक्षा भूमि के अप्राधिकृत उपयोग, सम्मिलित थे।

1.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन के मूल्यांकन करने का मानदण्ड निम्न से उत्पन्न हुआ-

- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 एवं अचल सम्पत्तियों के माँग एवं अधिग्रहण (आर ए आई पी) अधिनियम, 1952
- छावनी नियम
- सेना भूमि नियमावली
- अधिग्रहण, नियंत्रण एवं त्याग नियम 1944
- आवासीय विनियम एवं
- समय समय पर मंत्रालय एवं डीजीडीई द्वारा जारी किए गए निर्देश

1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा की विधि में मुख्यतः ऑकड़ों का विश्लेषण, ऑकड़ों का आपस में मिलान, विहित मानकों की तुलना, नियम, विनियमों एवं निर्देशों को शामिल किया गया है। इसमें भूमि की मॉग का निर्धारण करने की क्रियाविधि, वास्तविक स्वामित्व, मंत्रालय के पक्ष में नामांतरण सहित रक्षा भूमि के स्वामित्व की स्थिति, जैसा कि रक्षा अभिलेखों में दिखाया गया है, को सम्मिलित किया गया है। निर्धारित समय सीमा में अधिग्रहण के अतिरिक्त इसके उपयोग, अतिरिक्त खाली भूमि का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करते हुए निपटारा, अनाधिकृत रूप से दखल को रोक एवं हटाने सम्बन्धी मुद्दों का अध्ययन किया गया।

पट्टों का प्रबंधन एवं उनका समय पर नवीकरण समाप्ति, भाड़े की वसूली एवं संशोधन, पट्टों की प्रीमियम का विश्लेषण विहित निर्देशों के सन्दर्भ में किया गया । इसी प्रकार छावनी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत ओ जी वी एस प्रबंधन की भी जॉच की गई । रक्षा भूमि के व्यावसायिक सुविधायुक्त भवनों / परिसरों का उपभोग जैसे शापिंग कम्पलैक्सों इत्यादि निर्धारण, वसूली एवं राजस्व की सही लेखा खाते में नियमों के अर्न्तगत जमा करने की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण एवं कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति को भी देखा गया ।

निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2009 में शुरू कर सितम्बर 2010 में समाप्त की गई। लेखापरीक्षा किए गए एककों / गठनों से प्राप्त उत्तर को लेखापरीक्षा निष्पादन प्रतिवेदन में सही रूप में शामिल किया गया।

जुलाई 2009 में मंत्रालय की सचिव से इन्ट्री कान्फरेंस के लिए निवेदन किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यालय, डी.जी.डी.ई. और सेना मुख्यालय द्वारा जून 2009 में अपने यूनिटों/फारमेशनों को जारी किये गये निर्देशों के आधार पर शुरू की गयी। अक्टूबर 2010 में रक्षा सचिव से एक्जिट कान्फरेंस के लिए निवेदन किया गया था और यह 4 मार्च 2011 को गठित की गई थी। रक्षा मंत्रालय के सचिव को अक्तूबर 2010 में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप जारी किया गया था; मंत्रालय का उत्तर फरवरी 2011 तक प्रतीक्षित था।

रिपोर्ट के एक भाग पर डी.जी.डी.ई. के उत्तर 03 मार्च 2011 को प्राप्त हुए थे। इस रिपोर्ट में इन्हें यथोचित रूप से सम्मिलित कर दिया गया है।

1.8 किराये की मानक तालिका (एस.टी.आर्स)

छावनियों में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें डी.ई.ओ. एवं प्रत्येक स्टेशन कमांडर, जिलाधीश एवं साथ लगे हुए नगर निगम/नगरपालिका प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि होता है। समिति भवनों/भूमि के विक्रय आंकड़ों और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण करता है। भाड़ों की मानक तालिका को तेजी से विकसित रही 19 छावनियों में प्रत्येक वर्ष एवं अन्य स्टेशनों के लिए प्रत्येक तीन वर्ष पर संशोधित किया जाना आवश्यक है। 4 डी.ई.ओ. के अंतर्गत 5 स्टेशनों का वार्षिक एस.टी.आर्स में बदलाव और 6 डी.ई.ओ. के अंतर्गत 14 स्टेशनों का त्रिवार्षिक बदलाव में मार्च 2009 को 12 महीने से 65 महीनों का विलम्ब हुआ था। इससे विभिन्न पट्टाधारियों से भिन्न रेट पर पट्टा किराये की वसूली बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

1.9 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार रक्षा भूमि के दुरूपयोग का मामला उठाया गया। इन प्रतिवेदनों के बावजूद, सुधार नहीं के बराबर हुआ है जैसा कि इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में दर्शाया गया है। इस तरह के मामलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष मार्च 2005 की समाप्ति के लिए वर्ष 2006 का प्रतिवेदन सं. 5 (वायुसेना एवं नौसेना)

पैराग्राफ 3.2 : अधिकारियों के लिए संस्थान का अनाधिकृत निर्माण

नई दिल्ली में, मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान द्वारा अनाधिकृत रूप में 74.24 लाख रूपये की प्रधान भूमि का उपयोग अधिकारी संस्थान नामक पारगमन/ट्रांजिट निवास बनाने में किया गया जिस पर 33.18 लाख रूपये का अनियमित खर्च हुआ।

वर्ष मार्च 2006 की समाप्ति के लिए वर्ष 2007 का प्रतिवेदन सं. 4 (थलसेना एवं आयुध फैक्ट्रियाँ)

पैराग्राफ 2.1 : पट्टे के निष्पादन/नवीकरण में विलंब

रक्षा भूमि के पट्टे के नवीकरण में 6 से 36 वर्षों के अस्पष्ट विलंब के फलस्वरूप भाड़े व प्रीमियम की वसूली नहीं की गयी जिससे करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ एवं उस पर ब्याज की हानि हुई।

पैराग्राफ 3.3 : रक्षा परिसम्पत्तियों एवं सार्वजनिक निधि का शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में अनाधिकृत उपयोग

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देश एवं अधिनियमों की अवहेलना करते हुए सरकार के पूर्व स्वीकृति बिना सेना के प्राधिकारियों ने ए.डब्ल्यू.ई.एस. के तत्वाधान में पठानकोट में महत्वपूर्ण ए-1 रक्षा भूमि पर 3.20 करोड़ रूपये की लागत से एक शैक्षणिक संस्थान खोला। इसके अतिरिक्त दिल्ली में स्थित एक दूसरे स्कूल के भवन के विशेष मरम्मत पर 18.83 लाख रूपये व्यय किये गये।

पैराग्राफ संख्या 3.4 - राजस्व को लोक निधि में जमा नहीं करना

सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए सेना के कुछ एककों ने सरकारी स्वामित्ववाले भवनों को भाड़े पर दिए जाने से प्राप्त राजस्व को गैर लोक निधि में विचलित किया।

'पट्टों के कार्यपालन/नवीकरण में देरी' पर पैराग्राफ 2.1 की जाँच करते समय लोक लेखा समिति ने मंत्रालय द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :-

(i) रक्षा लीज डीड्स को निष्पादन एवं पट्टो का नवीकरण क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए उचित रिकार्ड रखने की कारगर व्यवस्था विकसित की जाये ;

(ii) छः माह से अधिक से बकाये उन सभी रक्षा भूमि के पट्टे या दूसरे सम्पत्तियों के पट्टे की पहचान एवं निर्धारित समय में उनका निष्पादन की जाये ;

(iii) पट्टों के निर्धारित समय पर नवीकरण एवं दरों में प्रत्येक पांच वर्षों में युक्तिसंगत अपने आप बढ़ोतरी संबंधी अन्तर्निहित क्लाउज रखने की नीति अपनायी जाये ; तथा

(iv) संबंधित कर्मी/कर्मियों द्वारा अस्पष्ट विलंब/अकार्यवाही/भूल के लिए जवाबदेही निर्धारित करना।

वर्ष मार्च 2006 की समाप्ति के लिए वर्ष 2007 का प्रतिवेदन सं. 5 (वायुसेना एवं नौसेना)

आडिट पैराग्राफ संख्या 3.5 : आई.ए.एफ. द्वारा प्रमुख रक्षा भूमि पर व्यावसायिक आधार पर संचालित आडिटोरियम से प्राप्त आमदनी को सरकार के साथ बँटवारा नहीं किया जाना।

आई.ए.एफ. ने प्रमुख रक्षा भूमि पर व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑडिटोरियम संचालन की अनुमति दी जबकि संचालन सुविधायें आई.ए.एफ. के जनशक्ति एवं दूसरे संसाधनों से विचलित किया गया तथापि मंत्रालय के निदेशानुसार सरकारी खजाने में जाने वाले राजस्व प्राप्ति को, खजाने में जमा नहीं किया गया। जबकि सरकार को भाड़े के रूप में 8.02 करोड़ रूपये की वसूली नहीं होने के कारण राजस्व की हानि हुई, ऑडिटोरियम के अधिसंख्य स्थापना पर अनाधिकृत रूप से 1.37 करोड़ रूपये व्यय करने के अलावा बिजली के उपभोग से हानि हुई जिसका आंकलन किया जाना बाकी था।

वर्ष 2007 समाप्ति के लिए वर्ष 2008 का प्रतिवेदन संख्या सी.ए 4 (थलसेना एवं आयुध फैक्ट्रियाँ)

पैराग्राफ सं. 2.2 - किसानों को मुआवजा भुगतान के लिए संचित रक्षा निधि का अनियमित विनियोजन

किसानों को मुआवजा भुगतान के निरीक्षण में डी.ई.ओ. की असफलता के कारण राज्य सरकार द्वारा रक्षा निधियों का दुरूपयोग हुआ।

पैराग्राफ 3.7 : संस्वीकृति जारी करने में विलंब के कारण ब्याज का अपरिहार्य भुगतान

गोवा में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे भुगतान संबंधी मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति जारी करने में हुए विलंब के कारण 56.56 लाख रूपये शेष मुआवजा भुगतान राशि पर 67.87 लाख रूपये के ब्याज का भुगतान किया गया।

पैराग्राफ सं. 6.10 - अनुपयुक्त भूमि का पट्टा करने पर व्यर्थ का निवेश

आयुध कारखाना परिषद् द्वारा 2001 में 1.05 करोड़ रूपये भुगतान पर पट्टे के द्वारा अधिग्रहित भूमि का, भूमि के भवन निर्माण के अनुपयुक्त होने के कारण उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं हो सका। इसके कारण व्यर्थ का निवेश हुआ एवं पट्टा किराया के भुगतान का लगातार तब तक उत्तरदायित्व बना रहा जब तक भूमि का या तो निपटान नहीं किया गया या इसे दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में नहीं लगाया गया।

वर्ष मार्च 2008 की समाप्ति के लिए वर्ष 2008-09 का प्रतिवेदन संख्या सी.ए. 17 (थलसेना एवं आयुध फैक्ट्रियाँ)

पैराग्राफ सं. 2.7 : आर्मी गोल्फ क्लब के कब्जे की भूमि के पट्टे का नवीकरण नहीं किया जाना

आर्मी गोल्फ क्लब द्वारा प्रयुक्त भूमि के पट्टे का करीब दो दशकों तक मंत्रालय के द्वारा नवीनीकरण में असफलता के कारण अनुमानतः 54.95 करोड़ रूपये भाड़े की वसूली नहीं हुई।

पैराग्राफ सं. 3.4 : सेना कल्याण शिक्षा समाज द्वारा अनाधिकृत रूप से ए-1 सेना भूमि का उपयोग

सेना कल्याण शिक्षा समाज (ए.डब्ल्यू. ई.एस.), एक निजी संस्था, को भारत सरकार की स्वीकृति के बिना 25.559 एकड़ ए-1 रक्षा भूमि पर दिल्ली छावनी में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए अनियमित रूप से अनुमति दी गई। आगे, भूमि का सितम्बर 2005 से अक्तूबर 2008 तक अनुमानित भाड़ा 27.61 करोड़ रूपये एवं प्रीमियम के 43.59 करोड़ रूपये, कुल 71.20 करोड़ रूपये की वसूली ए.डब्ल्यू. ई.एस. से नहीं की गई।

पैराग्राफ सं. 3.5 : सरकारी परिसम्पत्तियों का गैर सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग

रक्षा भूमि, भवनों एवं जनशक्ति का गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकलापों के संचालन लिए सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर दुरूपयोग किए जाने के कई दृष्टान्त है। स्टेशन कमांडर पंचमढ़ी ने 2.96 करोड़ रूपये की रक्षा भूमि सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए एक शैक्षणिक संस्था केन्द्र वी.एड. कोर्स स्थापित एवं संचालित करने के लिए दिया। स्टेशन कमांडर ने आगे 6 रक्षा भवनों को, संस्था के उपयोग के लिए विनियोजित किया एवं सरकारी निधि से 29.90 लाख रूपये उनके मरम्मत पर खर्च किये। दूसरे मामले में स्टेशन कमांडर जालंधर ने रक्षा भूमि एवं भवनों पर एक आर्मी कालेज ऑफ नर्सिंग खोलने की अनुमति प्रदान की। सरकारी निधि से उनकी मरम्मत के लिए 19.23 लाख रूपये भी खर्च किये। एक तीसरे मामले में आर्मी सर्विस कोर ने 9 से 15 सैन्य कर्मियों को, औरंगाबाद में एक निजी इंजीनियरिंग/अभियंत्रण कालेज में अध्ययनरत सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए हॉस्टल चलाने के लिए लगाया।

सैन्य कर्मियों के इस प्रकार अनियमित कार्य के लिए लगाये जाने से फरवरी 2003 से जुलाई 2008 तक 1.01 करोड़ रूपये का खर्च हुआ।

वर्ष मार्च 2009 की समाप्ति के लिए वर्ष 2010-11 का प्रतिवेदन संख्या सी.ए. 12 (थलसेना एवं आयुध फैक्ट्रियाँ)

पैराग्राफ सं. 4.1 - गोल्फ क्लब के आवासीय निर्माण पर अनियमित स्वीकृति

एक कोर मुख्यालय के कमांडरों एवं एक स्वतंत्र सब एरिया ने खरगा गोल्फ कोर्स में स्थित गोल्फ क्लब के लिए भवनों के स्पेशल रिपेयर के छिपे रूप में एक अनाधिकृत नये भवन का निर्माण कराया

वर्ष मार्च 2009 की समाप्ति के लिए वर्ष 2010-11 का प्रतिवेदन सं. सी.ए. 16 (वायुसेना एवं नौसेना)

पैराग्राफ सं. 2.3 : संतुष्टि शॉपिंग काम्पलेक्स का अनियमित व्यावसायिक उपयोग

मंत्रालय के निर्देशों एवं सरकारी नियमों की अवहेलना करने के कारण आई.ए.एफ. अधिकारियों द्वारा अनुज्ञा शुल्क के संशोधन में विलंब हुआ एवं प्राप्त राजस्व को गैर लोक निधि में जमा किया गया जिसके कारण राजकोष को लगभग 9.75 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा। आगे, मंत्रालय

द्वारा ढ़ाई वर्षों तक खाली करवाने की प्रक्रिया को स्थगित रखने के निर्णय के द्वारा अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को इन दुकानों को 13 वर्षों से ज्यादा अपने कब्जे में रखने की अनुमति दी।

पैराग्राफ सं. 2.7 : एयर बेस के विकास में अत्यधिक विलंब

प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक आधार पर तीव्रता से समाप्ति करने के लिए 25.17 करोड़ रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति जारी करने के बावजूद, योजना में बार-बार बदलाव के कारण एक स्ट्रैटेजिक फीरवर्ड बेस एयरफील्ड को चालू होने में दो दशकों से ज्यादा का विलंब हुआ। दूसरे मामले में लड़ाकू एयरक्राफ्ट के प्रयोग के लिए एक एयरबेस सरकार की अनुमति प्राप्त करने के 25 वर्षों बाद भी सक्रिय एवं संचालित नहीं किया जा सकता।